रजि.नं0 545 (पी)

स्थापना वर्ष 1989

दी मामुरपूर सहकारी साख एंव ऋण समिति लि0
पंजी. कार्यालय–1529/1, मामुरपुर, नरेला–दिल्ली–110040

सूचना

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है, कि समिति की 32वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 30.03.2022 (बुधवार) को प्रातः 10.00 बजे ब्राहमण चौपाल मामुरपूर, नरेला–दिल्ली–110040 में निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श करने हेतू होगी।

यदि किसी कारण गणपूर्ति **(Quorum)** प्रातः 10.00 बजे तक पूरा न हो सका, तो बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की जायेगी और स्थगित बैठक पुनः प्रातः 10.30 बजे उसी दिन, उसी स्थान पर उसी कार्यक्रमानुसार होगी।

इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

–: कार्य – सूची :–

1. आदरणीय दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव।
2. दिनांक 28.03.2021 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
3. वर्ष 2020–21 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, **(Audit Report),** तुलन–पत्र व लाभ हानि पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करना।
4. वर्ष 2020–21 के लाभांश की घोषणा।
5. प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार की घोषणा।
6. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि बैठक में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनायें, हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

धन्यवाद।

(वेद प्रकाश भारद्वाज)
अवैतनिक सचिव

दिनांक 05.03.2022

प्रतिलिपी :– रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कार्यालय, ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग **(RCS Office)** संसद मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

2. सोसाईटी की बेबसाइट **mamurpur.tcsociety.in** डालने हेतु।
3. दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
4. सभी सदस्यों को **SMS** द्वारा उपलब्ध मो0 नं0 पर सूचना।

नोट :–

1. कृपया सभा में दूरी (Social Distance) का पूरा ध्यान रखें। मास्क अवश्य पहन कर आऐं। प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज (Sanitize) करें तथा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभागार में आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
2. गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिपावली उपहार की राशि रू0 300/– सभी सदस्यों के ऐच्छिक खाते (OD) में जमा कर दी जायेगी।
3. जिन सदस्यों के पुत्र–पुत्रियों ने शिक्षण सत्र 2020–2021 में 10वीं व 12वीं कक्षा में कुल 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, वे दिनांक 26.03.2022 तक सत्यापित प्रमाण के साथ प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा करवा सकते है। पुरस्कार की राशि बच्चों के अभिभावक 30.03.3022 से सोसाईटी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि सदस्य नामित (उत्तराधिकारी) व्यक्ति के देहान्त अथवा बदलाव की सूचना सोसाईटी कार्यालय को तुरंत दें, ताकि सदस्य के देहांत के उपरान्त सदस्य के परिवार को अनुदान व अन्य भुगतान करने में कोई कठिनाई न हों।
5. यदि किसी सदस्य ने अपना वर्तमान पत्र व्यवहार का पता व मो0 नं0 बदल लिया हैं, तो सोसाईटी को विवरण के साथ सूचित करें।
6. यदि किसी सदस्य ने शेयर सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो वे अपने शेयर सर्टिफिकेट सोसाईटी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
7. सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन नम्बर व आधार कार्ड की प्रतिलिपी समिति कार्यालय में शीघ्र जमा करायें।
8. यदि कोई सदस्य बैठक में चर्चा हेतु अपना प्रस्ताव भेजना चाहें या कोई सूचना लेना चाहे तो वह 25.03.2022 तक सोसाईटी के कार्यालय में भेज दें, अन्यथा प्रस्ताव पर विचार सम्भव नहीं होगा।
9. जो सदस्य ऑडिट रिर्पोट देखना चाहें वे बैठक से दो दिन पहले तक सोसायटी के कार्यालय में आकर देख लें।
10. केवल सदस्य ही बैठक में अपेक्षित है।